भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2694

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर कृषि पंपों का संस्थापन

2694 श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

डॉ. अशोक कुमार मित्तल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के घटक 'बी' के अंतर्गत स्थापित किए गए स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर कृषि पंपों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) बंजर एवं अनुपयोगी कृषि भूमि पर घटक 'ए' के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत ग्रिड-संबद्ध सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू रूप से निर्मित सौर सेल एवं मॉड्यूल की आपूर्ति से संबंधित विलंब को दूर किया गया है;

(घ) किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु संस्थागत ऋण सुविधा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थापित प्रणालियों के दीर्घकालिक रखरखाव एवं वारंटी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम एक मांग -संचालित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग और उनके द्वारा दिखाई गई प्रगति के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम योजना के घटक बी के तहत कुल 11,68,667 सौर पंप स्थापित किए गए हैं। राज्यवार प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम योजना के घटक क के अंतर्गत कुल 1986.30 मेगावाट विकेन्द्रीकृत सौर संयंत्र संस्थापित किए गए हैं। राज्यवार प्रगति का अद्यतन विवरण भी **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) सरकार ने सौर फोटोवोल्टिक (PV) सेलों और मॉड्यूलों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने और देश में उनकी उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में उच्च दक्षता सोलर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की कुछ खास योजनाओं के तहत स्वदेशी सामग्री आवश्यकता (DCR) के प्रावधान, सोलर सेलों और मॉड्यूलों के निर्माण के लिए आवश्यक विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट, और आयातित सोलर पीवी सेलों और मॉड्यूलों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) लगाना शामिल है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, सौर पीवी (PV) सेलों और मॉड्यूलों के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची (ALMM) के अनुसार, दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार, सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता लगभग 213 GW और सौर पीवी सेलों के लिए लगभग 32 GW तक पहुंच गई है।

(घ) इस योजना के सभी घटक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के अंतर्गत शामिल हैं, जो किसानों को ब्याज में छूट और सुलभ वित्तपोषण का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं।

(ङ) पीएम कुसुम (PM KUSUM) योजना के दिशा-निर्देश, राज्यों को पैनलबद्ध वेंडरों द्वारा क्षमता निर्माण, संचालन और रखरखाव (O&M) के अनुपालन और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति देते हैं। यह योजना वेंडरों को स्थापना की तारीख से पांच वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (Annual Maintenance Contract) का पालन करने, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, हेल्पलाइन सहायता और निवारण तंत्र के लिए जिला स्तरीय सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए भी बाध्य करती है। इसके अतिरिक्त, PM-KUSUM योजना के तहत लगाए गए स्टैंडअलोन सोलर पंपों के लिए, वेंडर को प्राकृतिक आपदाओं और चोरी होने पर बीमा कवरेज प्रदान करना अनिवार्य है। ये उपाय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित प्रणालियों के दीर्घकालिक रखरखाव और वारंटी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 11.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2694 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम कुसुम योजना के तहत दिनांक 31.07.2026 तक प्रगति

क्र.सं	राज्य का नाम	घटक-ए (MW)		घटक-बी (संख्या)		घटक-सी (संख्या)				
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (IPS)	स्थापित (IPS)	स्वीकृत (FLS)	स्थापित (FLS)	स्थापित (कुल)
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	699	0	0	0	0	0
2	असम	2	0	4000	1695	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	366	19	0	0	0	0	10523	622	622
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	140300	6070	6070
5	गुजरात	175	0	22792	22792	0	0	467114	304948	304948
6	गोवा	24	4	900	200	0	0	11000	700	700
7	हरियाणा	158	75.21	197655	195521	0	0	2899	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	100	100	1270	1103	0	0	0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	5000	4873	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	0	86985	74201	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	0	0	41365	29513	0	0	763588	150490	150490
12	केरलम्	0	0	8	8	9448	4063	22368	11809	15872
13	लद्दाख	0	0	1400	315	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	1401	230.66	59400	26478	0	0	175000	71934	71934
15	महाराष्ट्र	260	21	575000	559409	0	0	875000	875000	875000
16	मणिपुर	0	0	450	160	0	0	0	0	0

17	मेघालय	0	0	2735	98	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	1700	613	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	265	265	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	90	6	18441	16052	0	0	5223	0	0
21	पुडुचेरी	0	0	72	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	18048	17928	186	25	0	0	25
23	राजस्थान	5618	1442.43	134752	127639	2138	2138	400000	229994	232132
24	तमिलनाडु	3	3	5187	5186	0	0	0	0	0
25	तेलंगाना	1797	84	7000	0	28000	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	5	0	11114	9401	3600	1375	0	0	1375
27	उत्तर प्रदेश	1	1	107266	71538	12000	8654	370000	2477	11131
28	उत्तराखंड	0	0	3685	2980	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	20	4	0	0	4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	293587	0	0
	कुल	**10000**	**1986.30**	**1307190**	**1168667**	**55392**	**16259**	**3536602**	**1654044**	**1670303**
